अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी-45 /2013

देवराज नागर,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1–तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःअगस्त 07 ,2013

विषय- आनर किलिंग के अपराधों की विवेचना व कार्यवाही के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अन्तर्जातीय, समगोत्रीय एवं अन्तर्धर्मीय प्रेम विवाह करने वाले वयस्क युवक एवं युवतियों को उनके परिजनों द्वारा स्वेच्छा से अथवा पंचायत या खाप में लिये गये निर्णय के अनुसार हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार की हत्या परिवार, कुल, जाति या गोत्र के सम्मान के लिए की जाती है। परन्तु वास्तव में यह एक अवैधानिक, जघन्य एवं निन्दनीय कृत्य है। ऐसे अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर मुख्यालय द्वारा पार्श्वांकित परिपत्र पूर्व में निर्गत किये गये हैं। (छायाप्रति संलग्न)

डीजी परिपत्र संख्या–18/2003 दि0 07.08.03 अ0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी–28/2010 दि0 07.07.2010 डीजी अ0शा0परिपत्र संख्या–02/2011 दि0 30.01.2011

2. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल अपील (कैपिटल केस) नम्बर 3191/2012 नत्थू बनाम बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व क्रिमिनल अपील (कैपिटल केस)नंम्बर 3046/2012 राकेश व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व रिफ्रेस केस नम्बर 04/2012 में आनर किलिंग के प्रकरण में क्षोभ व्यक्त करते हुए पुलिस को आनर किलिंग की विवेचना में त्वरित, प्रभावी एवं निष्पक्ष होकर कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के सुसंगत अंश निम्नलिखित हैः-

Before parting with the case, the Court would be failing in its duty if it does not passes an appropriate order to prevent the recurrence of the mischief which had taken place in the instant case. Honour killing seems to be spreading its tentacles in certain section of the society. It connotes a certain mind-set, that the chastity of the girl belongs to her family. This is a dangerous trend, which is not only to be deprecated but a holistic effort is to be made by all sections of the society to eliminate it completely. The role of police is of considerable significance for conducting prompt, efficient and independent investigation so that the real perpetrators of the crime are brought to book. Going by our experience in the instant case, we are of the view that in a case pertaining to honour killing, the investigating agency should not submit a final report unless the same has an approval of an officer not below the rank of Superintendent of Police. This is with a view to prevent the mischief of submission of a motivated final report. We, accordingly direct the Director General of Police, U.P. to pass appropriate directions in this regard, to be complied by the subordinate police officers, both in letter and in spirit.

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के क्रम में आनर किलिंग की विवेचना के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते है:-

- यदि कोई वयस्क लड़का या लड़की अन्तर्जातीय/अन्तर्धर्मीय विवाह करते है तो ऐसे दम्पत्ति का उत्पीड़न न होने पाये तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाय।
- ऐसे दम्पत्ति को डराने, धमकाने, प्रताड़ित करने वाले या हिंसात्मक कृत करने वाले या उसको प्रेरित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाय।
- आनर किलिंग के प्रकरण में तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ कर दी जाय।
- विवेचना में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाय।
- विवेचना बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से की जाय तथा घटना में शामिल सभी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की जाय।
- विवेचना की अन्तिम रिपोर्ट ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जिसका पद पुलिस अधीक्षक से कम न हो, न्यायालय प्रेषित की जाय।

3. अतः आप सभी को निदेर्शित किया जाता है कि आनर किलिंग के प्रकरण में संवेदनशील होकर उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये।

भवदीय,

(देवराज नागर)
7-8-13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
5.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।

8/8/13